0291 -2795303

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./लेखा/ जोध/2024-25/ दिनांक :-

वित्त एवं लेखा समिति की दिनांक 23.10.2024 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण :-

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वित्त एवं लेखा समिति का उपवेशन दिनांक 23.10.2024 को माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दोपहर 3.30 बजे विश्वविद्यालय परिसर, करवड़, जोधपुर में आयोजित हुआ। इसमें निम्नलिखित अधिकारीयों ने भाग लिया :-

1. प्रो. प्रदीप कुमार प्रजापति, कुलपति डॉ. स. रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।	अध्यक्ष
2. श्री अखिलेश कुमार पीपल, कुलसचिव डॉ. स. रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।	आमंत्रित सदस्य
3. श्री दिनेश कुमार बारहठ, कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर। प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त, जोधपुर।	सदस्य
4. डॉ. राजीव लोचन शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग जोधपुर। प्रतिनिधि आयुष विभाग, जयपुर।	सदस्य
5. प्रो. चन्दन सिंह, विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर द्रव्यगुण विभाग, पीजीआईए, जोधपुर।	सदस्य
6. डॉ. राजाराम अग्रवाल, एसोसियेट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग, पीजीआईए, जोधपुर।	सदस्य
7. श्री मंगलाराम बिश्नोई, नियंत्रक (वित्त) डॉ. स. रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	सदस्य

Signature valid
Digitally signed by Mangala Ram
Designation : Comptroller Finance
Date: 2024.10.29 1[illegible]:37:22
Reason: Approved

सर्वप्रथम वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव ने उपवेशन में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा पश्चात् उपनिवेशन के एजेण्डा पर बिन्दूवार चर्चा हेतु अध्यक्ष [illegible] से अनुमति [illegible] बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

एजेण्डा सं.	एजेण्डा बिन्दू	कार्यवाही विवरण
1	गत वर्ष दिनांक 06.03.2024 को हुई बैठक कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	समिति के सदस्यों द्वारा कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2	विश्वविद्यालय की इकाईयों यथा महाविद्यालयों एवं अन्य कार्यालयों में सब डीडीओ पावर्स प्रदान करने तथा बिलों के भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण। (Decentralization)	विश्वविद्यालय की निम्नलिखित इकाईयों यथा महाविद्यालयों एवं अन्य कार्यालयों में सब डीडीओ पावर्स प्रदान किये जाने तथा रुपये 1.00 लाख की सीमा में उपापन सम्बन्धी कार्यवाही करने की समिति द्वारा अनुशंषा की गई :- 1. प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, करवड़। 2. प्राचार्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी, टोंक। 3. प्राचार्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, जोधपुर। 4. प्राचार्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ योग एण्ड नैच्यूरोपैथी, जोधपुर 5. प्राचार्य यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, केकड़ी 6. प्राचार्य, बी.एस.सी. नर्सिंग (आयुर्वेद), जोधपुर। 7. अधीक्षक, संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय, करवड़। 8. अधीक्षक, संजीवनी होम्योपैथिक चिकित्सालय, करवड़। 9. अधीक्षक, संजीवनी यूनानी चिकित्सालय, टोंक। 10. अधीक्षक, संजीवनी होम्योपैथिक चिकित्सालय, केकड़ी। जिसमें समस्त सब डीडीओ को पे-मैनेजर एवं प्री पे-मैनेजर के भुगतान दावों के सम्बन्ध में उपापन सम्बन्धी प्रशिक्षण विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रदान किया जायेगा। समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
3	वार्षिक टैक्स ऑडिट हेतु नवीन सनदी लेखाकार की नियुक्ति तथा पूर्व सनदी लेखाकार द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा।	वार्षिक टैक्स ऑडिट हेतु कम्पनी एक्ट के प्रावधानानुसार नवीन सनदी लेखाकार मैसर्स अग्रवाल गुप्ता एण्ड एसोसियेट्स बाड़मेर को अधिकतम 05 वर्ष हेतु या असंतोषजनक कार्य की दशा में इससे पूर्व की नियुक्ति का समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा पूर्व सनदी लेखाकार द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-11 में महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के पैरों में भारी त्रुटियां पाई गई। जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन सनदी लेखाकार को आगामी 15 दिवस में बैलेंस शीट में अन्तर दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने बाबत कार्यवाही अनुमोदित की गई तथा तत्कालीन सनदी लेखाकार द्वारा किये गये कार्यों में ऑडिट पैरों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्र एवं ई-मेल द्वारा सूचित करने एवं कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने पर इनके विरूद्ध ICAI में शिकायत दर्ज करवाने हेतु समिति द्वारा निर्देशित किया गया।
4	महालेखाकार राजस्थान एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदनों एवं बकाया पैरों की पालना के सम्बन्ध में चर्चा।	महालेखाकार राजस्थान एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदनों एवं बकाया पैरों की पालना के सम्बन्ध में ठोस पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु समिति द्वारा निर्देशित किया गया। साथ ही वर्ष 2009-11 के पैरा संख्या 04 हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना में रिपोर्ट भिजवाने एवं वर्ष 2009-11 के पैरा संख्या 04 हेतु तत्कालीन सनदी लेखाकार को बैलेंस शीट में सुधार [illegible] सूचित करने के लिए समिति द्वारा निर्देश प्रदान किये गये है। माह जुलाई 2018 [illegible] में अधिशेष निधियों को बैंक [illegible] हेतु निर्देशित किया गया है। [illegible] अनुसार पी. डी. बचत खाते में ब्याज 2.7 प्रतिशत [illegible] देय है परन्तु बैंको में ब्याज 7 से 8 प्रतिशत तक देय है तथा उक्त राशि का उपयोग विश्वविद्यालय खातों से पेंशन एवं अन्य जरूरी कार्य हेतु लिया जाता है। अतः

Signature valid
Digitally signed by Mangala Ram
Designation : Comptroller Finance
Date: 2024.10.29 1[illegible]:37:22 IST
Reason: Approved

		उक्त बिन्दू के सम्बन्ध में राज्य सरकार से उचित मार्गदर्शन हेतु निवेदन किया जायेगा। जिसकी समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। समिति द्वारा विश्वविद्यालय पेंशन फण्ड में राशि रुपये 5.00 करोड़ अनिवार्य रुप से हस्तांतरित करने हेतु निर्देशित किया गया।
5	विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा यथा बैंक खाते, पी.डी. खाते की बचत एवं अन्य।	विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में यथा बैंक खाते, पी. डी. खाते की बचत एवं अन्य का विवरण समिति के समक्ष अवलोकन हेतु प्रेषित किया गया। जिसका समिति समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6	विश्वविद्यालय परिसर एवं इकाईयों कार्यालयों के परिसरों में डिस्कॉम बिजली बिल को कम करने तथा सौर उर्जा आधारित रोड़ लाईट के इन्टॉलेशन एवं उपयोग पर चर्चा एवं वर्तमान में सौर उर्जा पेनल के उत्पादन के सम्बन्ध में चर्चा।	समिति द्वारा विश्वविद्यालय की समस्त इकाईयों/भवनों में सौर उर्जा पैनल स्थापित किये जाने एवं विश्वविद्यालय तथा संघटक महाविद्यालयों के परिसर की समस्त रोड़ लाईट को सौर उर्जा आधारित 40 वॉट रोड़ लाईट 300 लुमिनश से अधिक नवीनतम तकनीकी के साथ परिवर्तित किये जाने बाबत निर्देशित किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय में वर्तमान में व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन होने के कारण डिस्कॉम द्वारा विद्युत विपत्र व्यावसायिक दर से भिजवाया जा रहा है। अतः विश्वविद्यालय परिसर में स्थित स्टाफ क्वार्टर्स में संचालित विद्युत कनेक्शनों को व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन से घरेलू विद्युत कनेक्शनों में हस्तांतरित करने बाबत डिस्कॉम जोधपुर को पत्र भिजवाया जाने की समिति द्वारा अनुशंषा की गई। समिति द्वारा एनर्जी ऑडिट करवाने बाबत भी निर्देशित किया गया है।
7	गैर जरूरी बैंक खातों को वित्त विभाग के निर्देशानुसार बन्द करवाने पर चर्चा।	गैर जरूरी बैंक खातों को वित्त विभाग के निर्देशानुसार आईसीआईसीआई बैंक में संचालित तीनों लेखों को बन्द करवाने एवं अधिशेष निधियों का वर्गीकरण कर सम्बन्धित खातों में जमा करवाने बाबत समिति के सदस्यों निर्देश प्रदान कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8	विश्वविद्यालय आय से पूर्व में जारी स्वीकृतियों की राशि मे संशोधन तथा नवीन स्वीकृतियों के सम्बन्ध में चर्चा।	समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
9	छात्र/छात्रा छात्रावासों के विकास हेतु औद्योगिक धरानों तथा चेरिटेबिल ट्रष्टों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से सीएसआर फण्ड प्राप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा एवं हॉस्टलों के नामकरण।	समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
10	विश्वविद्यालय के लेखों की अकाउण्टिंग तथा रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में विभिन्न सौपानों के स्तर पर लॉगिन बेस ऑनलाईन सॉफ्टवेयर एवं दिन प्रतिदिन अपडेशन आधारित कार्य पर चर्चा एवं व्यय स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा।	समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
11	सेवानिवृति के पश्चात् 65 वर्ष की आयु के नियोजित कार्मिकों तथा सुरक्षाकर्मियों के सम्बन्ध में चर्चा।	सेवानिवृति के पश्चात् 65 वर्ष की आयु के नियोजित कार्मिकों तथा सुरक्षाकर्मियों को नहीं रखने का समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। यदि में वर्तमान में कोई कार्मिक कार्यरत हो तो उसको जारी आदेश की समयावधि पूर्ण होने के पश्चात् वृद्धि नहीं की जाकर 65 वर्ष से कम आयु के कार्मिक को नियोजित करने हेतु समिति द्वारा निर्देशित किया गया है।
12	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षा के छात्रों द्वारा निम्नलिखित परीक्षा आवेदन शुल्क में वृद्धि के सम्बन्ध में :-	समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। Signature valid Digitally signed by Mangala Ram Designation : Comptroller Finance Date: 2024.10.29 1[illegible]:37:22 IST Reason: Approved

S. No.	Examination Form Fee	Existing Fee	Revised Fee
1	P. G. Degree Course All Classes	5000/-	7000/-
2	U. G. Degree Course All Classes	3000/-	5000/-
3	Diploma/ Certificate Course All Classes	2000/-	3000/-

		4	Less then two subject in All Course examination fee	700/-	1000/-

13	बी.एस.सी. नर्सिंग (आयुर्वेद) के महाविद्यालय भवन एवं छात्रावास भवन निर्माण के सम्बन्ध मे चर्चा।	प्रस्ताव तैयार कर पुनः राज्य सरकार को भिजवाने बाबत समिति के सदस्यों द्वारा निर्देशित किया गया है।
14	पंचकर्म में विभिन्न डिप्लोमा कोर्सेज हेतु उपकरण एवं अन्य सामग्री क्रय करने बाबत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा।	समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
15	संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय के स्नातकोत्तर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग द्वारा होने वाले ट्यूबेक्टोमी, सिजेरियन प्रसव एवं अन्य शल्य कर्म हेतु दरें अनुमोदन करने के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रस्ताव।	संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय के स्नातकोत्तर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग द्वारा होने वाले ट्यूबेक्टोमी, सिजेरियन प्रसव एवं अन्य शल्य कर्म हेतु दरें अनुमोदन करने के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रस्ताव का समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

16

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-

1. माह दिसम्बर 2024 में आयोजित होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेस हेतु व्यय की अन्तर राशि की स्वीकृति बाबत समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

2. विश्वविद्यालय के पीजीआईए में रचना शारीर विभाग हेतु (Dissection) डिसेक्शन टेबल क्रय करने बाबत।

3. विश्वविद्यालय परिसर में कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक हेतु क्वार्टर/भवन निर्माण के सम्बन्ध में।

4. प्री पीएचडी प्रवेश परीक्षा सम्पन्न करवाने हेतु गठित कमेटी, विषय विशेषज्ञ एवं अन्य कर्मचारी के मानदेय निर्धारण निम्नानुसार करने बाबत :-

क्र. सं.	पद विवरण	कार्य	प्रस्तावित मानदेय
1	विषय विशेषज्ञ	पेपर सेट करना	3000/- रु. प्रतिदिन एवं अधिकतम 9000/- रु.
2	समिति समन्वयक	प्री पीएचडी परीक्षा सम्बंधित समस्त कार्य यथा परीक्षा आयोजित करवाना, परिणाम तैयार करवाना एवं जारी करना तथा अन्य कार्य	5000/- रु.
3	सदस्य		3000/- रु.
4	मंत्रालयिक कर्मचारी/अधिकारी		2000/- रु.
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं अन्य		1000/- रु.

5. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित पीजीआईए के विभिन्न विभागों, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेज/चिकित्सालय, बीएससी नर्सिंग (आयुर्वेद) कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, जोधपुर एवं केकड़ी, आयुर्वेद

1. माह दिसम्बर 2024 में आयोजित होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेस हेतु व्यय की अन्तर राशि की स्वीकृति बाबत समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

2. विश्वविद्यालय के पीजीआईए में रचना शारीर विभाग हेतु (Dissection) डिसेक्शन टेबल क्रय करने बाबत विश्वविद्यालय से समिति का गठन किया जाकर एम्स जोधपुर में स्थापित डिसेक्शन टेबल की विशिष्टताओं प्राप्त करने एवं उसके अनुरूप डिसेक्शन टेबल उपापन नियमानुसार क्रय करने बाबत समिति द्वारा निर्देशित किया गया।

3. माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय परिसर में कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक महोदय हेतु क्वार्टर/भवन निर्माण के सम्बन्ध में अनुमानित राशि रुपये 250.00 लाख की लागत में करवाने बाबत निर्देशित किया गया। जिसकी समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

4. प्री पीएचडी प्रवेश परीक्षा सम्पन्न करवाने हेतु गठित कमेटी, विषय विशेषज्ञ एवं अन्य कर्मचारी के मानदेय निर्धारण निम्नानुसार करने बाबत समिति द्वारा अनुशंषा की गई :-

क्र. सं.	पद विवरण	कार्य	प्रस्तावित मानदेय
1	विषय विशेषज्ञ	पेपर सेट करना	2500/- रु. प्रतिदिन एवं अधिकतम 6000/- रु.
2	समिति समन्वयक	प्री पीएचडी परीक्षा सम्बंधित समस्त कार्य यथा परीक्षा आयोजित करवाना, परिणाम तैयार करवाना एवं जारी करना तथा अन्य कार्य	5000/- रु.
3	सदस्य		3000/- रु.
4	मंत्रालयिक कर्मचारी/अधिकारी		2000/- रु.
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं अन्य		1000/- रु.

5. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित पीजीआईए के विभिन्न विभागों, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेज/चिकित्सालय, बीएससी नर्सिंग (आयुर्वेद) कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, जोधपुर एवं केकड़ी,

Signature valid
Digitally signed by Mangala Ram
Designation : Comptroller Finance
Date: 2024.10.2[illegible] 1[illegible]:37:22 IST
Reason: Approved

	चिकित्सालय, होम्योपैथी चिकित्सालय, यूनानी कॉलेज/यूनानी चिकित्सालय, टोंक, प्रशासनिक खण्ड एवं विभिन्न विभागों से प्राप्त मांगपत्र अनुसार राशि रुपये 2.25 करोड़ का फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय बाबत।	आयुर्वेद चिकित्सालय, होम्योपैथी चिकित्सालय, यूनानी कॉलेज/यूनानी चिकित्सालय, टोंक, प्रशासनिक खण्ड एवं विभिन्न विभागों से प्राप्त मांगपत्र अनुसार राशि रुपये 2.25 करोड़ का फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय बाबत समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

Signature valid

Digitally signed by Mangala Ram
Designation : Comptroller Finance
Date: 2024.10.29 14:37:22 IST
Reason: Approved